

8.4.24

पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थित ~~नहीं~~ नहीं
हुया प्रकरण का मूलवाद अदम हाजरी - अदम फेंखी में
खारिज हो चुका है जिससे अब इस पत्रावली में कोई

अर्थवाही शेष नहीं रहती है।

अतः पार्थन पत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
हाजरी - अदम फेंखी में खारिज किया जाता है।
निर्णय करे इजलास हुआ गया प्रकरण फेंपलशुका
होका नम्बर से कम है।

रिया इवरी

DAS

उपरवाली कार्रवाई
मिया, लखनपुर



मिनिस्ट्री / लखनपुर नगरपालिका लखनपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल
काठमाडौं